

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन मोथरोवाला-देहरादून।
संख्या- 2753 / नि-5 / एक(11) / गौ सदन / 2026-27 दिनांक 25 अगस्त, 2026
सेवा में

परियोजना निदेशक,
भेड एवं ऊन प्रसार केंद्र,
पशुलोक-ऋषिकेश-देहरादून।

विषय:- पशुलोक ऋषिकेश में तिकोनिया नामक स्थान पर निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण दिये जाने हेतु गोशाला निर्माण की अवशेष 150 मी० चार दीवारी के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1927/XV-1/2026/e-101079 दिनांक 21 अगस्त, 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 28 के लेखाशीर्षक 4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-11-गौसदन का निर्माण-53-वृहद निर्माण मद में उपलब्ध धनराशि रु० 700.00 लाख के सापेक्ष पशुलोक ऋषिकेश में तिकोनिया नामक स्थान पर अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के उपरान्त निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण दिये जाने हेतु गोशाला निर्माण की अवशेष 150 मी० चार दीवारी के निर्माण हेतु धनराशि रु. 41.74 लाख को राज्य सैंक्टर से अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है। उक्त आवंटित धनराशि रु. 41.74 लाख पशुलोक ऋषिकेश में तिकोनिया नामक स्थान पर अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के उपरान्त निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण दिये जाने हेतु गोशाला निर्माण की अवशेष 150 मी० चार दीवारी के निर्माण हेतु आपके निवर्तन में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किया जाता है:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।
3. आगामी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त निर्माण कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता, डी.पी.आर. के संबंध में विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा। यदि कोई तकनीकी/विधिक औपचारिकतायें हैं, तो उन्हें भी स्वयं के स्तर से पूर्ण कर लिया जायेगा।
5. समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 23.04.2025 एवं 12.06.2023 के आलोक में सक्षम स्थल चयन समिति से प्राप्त आख्या के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर से सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6. कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, किसी भी स्थिति में कार्य की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित मद के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से कोई चालू कार्य प्रभावित न हो।

- 8 परियोजना निदेशक, पशुलोक व कार्यदायी संस्था होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित कर लें।
- 9 प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्रविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
- 10 स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- 11 अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं/अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 (समय-समय पर संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।
संलग्न-एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते-निदेशक।

संख्या- 2753/नि.-5/एक(11)/गौ सदन/2026-27, उक्त दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप/कोषाधिकारी, ऋषिकेश-देहरादून।
2. लेखा/पशुधन/संख्या, मुख्यालय।
3. उप निदेशक, एमआईएस को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. संयुक्त निदेशक, भूमि भवन/पशु प्रजनन, मुख्यालय।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, पौड़ी।
7. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग-1, सचिवालय-देहरादून।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

Nidushi
25/08/2024
(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते-निदेशक।